

**कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।**

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 33

राँची-2, दिनांक-13/8/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0भी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन वृक्षारोपण हेतु कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**योजना का नाम - पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित - गमला गैबियन वृक्षारोपण**

गैबियन का आकार - उपर का व्यास रींग 2'.5" बीच का व्यास रींग 2'.0" एवं नीचे का व्यास रींग 1'.5", ऊंचाई - जमीन से उपर 5'.3" तथा एक फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो आगे से कटी हुई हो।

पंक्ति से पंक्ति की दूरी- 3मी0  
पौधे से पौधे की दूरी- 5 मी0

कार्य दर - एक गैबियन

मजदूरी प्रति मानव दिवस: ₹0 249.83/-

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	<b>अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)</b>						
1	<b>घेरान कार्य</b>						
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (₹0 65/-- प्रति किलो कुल 9 कि0ग्रा0)	प्रति गैबियन	0.40	99.93	485.00	584.93	
ग	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 1' x 6" x 6" आकार के 3 गद्दों को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	37.47	20.25	57.72	

घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बांधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ड.	सामान की ढुलाई प्रति गैबियन रु0 50/-	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेंट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	42.47	0.00	42.47	
	<b>योग</b>		<b>0.72</b>	<b>179.88</b>	<b>922.75</b>	<b>1102.63</b>	
<b>(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	37.47	20.00	57.47	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	24.98	2.00	26.98	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	37.47	4.50	41.97	
5	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	124.92	25.00	149.92	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	124.92	0.00	124.92	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	<b>योग</b>		<b>1.40</b>	<b>349.76</b>	<b>96.50</b>	<b>446.26</b>	
<b>(C) संपोषण (तृतीय वर्ष)</b>							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	37.47	4.50	41.97	
2	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	124.92	5.00	129.92	

3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	124.92	60.00	184.92
	<b>योग-</b>		<b>1.15</b>	<b>287.30</b>	<b>69.50</b>	<b>356.80</b>
<b>(D)</b>	<b>संपोषण (चतुर्थ वर्ष)</b>					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	37.47	4.50	41.97
2	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	124.92	5.00	129.92
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	124.92	60.00	184.92
	<b>योग</b>		<b>1.15</b>	<b>287.30</b>	<b>69.50</b>	<b>356.80</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>4.42</b>	<b>1104.25</b>	<b>1158.25</b>	<b>2262.50</b>

- नोट** (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।  
(2) गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।  
(3) गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।  
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।  
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।  
(6) चार वर्षों की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 780

दिनांक- 13/8/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

**कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।**

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 34

राँची-2, दिनांक- 13/8/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए झारखण्ड राज्य अंतर्गत वन भूमि पर बाँस वृक्षारोपण हेतु कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वन भूमि पर बाँस वृक्षारोपण हेतु कार्य दर**

योजना का नाम :- बाँस वृक्षारोपण (राईजोम से)  
प्रति हे0 पौधों की संख्या :- 1000 पौधे  
पौधों की दूरी :- 3मी0 x 3मी0

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : 249.83 रुपये  
रकबा :- 1 हे0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रू0	सामग्री रू0	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)					
1	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	3	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई	7	1748.81	0.00	1748.81	
3	ट्रैच घेरान- ऊपर की चौड़ाई - 1.83मी0 नीचे की चौड़ाई- 1.22 मी0, गहराई- 1.22 मी0 ड्रेसिंग सहित मशीन द्वारा ट्रैच खुदायी ड्रेसिंग सहित जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 71431 से 91 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	12	2997.96	11782.74	14780.70	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
4	मृदा एवं संरेखन कार्य (0.45 मी x 0.45 मी x 0.45 मी) - 1000 गड्ढा प्रति हे0	75	18737.25	0.00	18737.25	
5	स्थाई पौधशाला से बाँस राईजोम (7 रुपये प्रति राईजोम) का क्रय एवं परिवहन 1200	0	0.00	8400.00	8400.00	
6	अंश पौधशाला का कार्य (दिसम्बर से मार्च) 15 से0मी0 x 20 से0मी0 x 150 गेज की पोलीथिन थैली, रात्रि प्रहरी सहित	15	3747.45	0.00	3747.45	
7	सामग्री (पोलीथिन थैली, उर्वरक, खाद रसायन, पौधशाला के लिये घेरान सामग्री छायांकन प्रसार आदि)	0	0.00	4800.00	4800.00	

8	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कंटूर ट्रेचिंग, गली प्लागिंग, डायवर्सन चैनल, चेक डैम आदि	10	2498.30	0.00	2498.30	
9	इण्ट्री प्वाइंट कार्य	30	7494.90	3000.00	10494.90	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	150.00	150.00	
	<b>योग :-</b>	<b>152</b>	<b>37974.16</b>	<b>28132.74</b>	<b>66106.90</b>	
<b>ख</b>	<b>समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>					
1	अंश पौधशाला कार्य (रात्रि प्रहरी सहित)	12	2997.96	0.00	2997.96	
2	वृक्षारोपण	45	11242.35	0.00	11242.35	
3	एक कोड़नी-निकौनी एवं एक निकौनी एवं मल्लिचंग	25	6245.75	0.00	6245.75	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	2	499.66	0.00	499.66	
5	सुरक्षा पर व्यय	9	2248.47	0.00	2248.47	
6	सामग्री, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि 50 ग्राम प्रति पौधा एन0पी0के0 सहित	0	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	0.00	150.00	150.00	
	<b>योग :-</b>	<b>93</b>	<b>23234.19</b>	<b>1725.00</b>	<b>24959.19</b>	
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>					
1	एक निकौनी एवं मल्लिचंग	14	3497.62	0.00	3497.62	
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)		0.00	785.00	785.00	
3	गड्ढा घेरान की मरम्मत	5	1249.15	0.00	1249.15	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	499.66	800.00	1299.66	
5	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	12	2997.96	0.00	2997.96	
	<b>योग :-</b>	<b>33</b>	<b>8244.39</b>	<b>1585.00</b>	<b>9829.39</b>	
<b>घ</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>					
1	एक निकौनी एवं मल्लिचंग	14	3497.62	0.00	3497.62	
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)	0	0.00	785.00	785.00	
3	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	499.66	800.00	1299.66	
4	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	12	2997.96	0.00	2997.96	
	<b>योग :-</b>	<b>28</b>	<b>6995.24</b>	<b>1585.00</b>	<b>8580.24</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>306</b>	<b>76447.98</b>	<b>33027.74</b>	<b>109475.72</b>	

**नोट :-**

- (1) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (2) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (4) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।



समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

ह0/-


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 781

दिनांक- 13/8/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 35

राँची-2, दिनांक- 13/8/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हरित झाड़ी घेरान योजना के कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**योजना का नाम : हरित झाड़ी घेरान योजना**

**कार्य दर :- 100 मी0**

पौधों की संख्या प्रति 100 मी0 हेज

प्रति लाईन (दो लाईन में) : 2000 पौधे

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83

पौधों से पौधों की दुरी 10 सें. मी. एवं दो लाईन के बीच की दुरी 15 सें.मी.

पौधों की प्रजाति - कामिनी, कलेरोडेनड्रोन, बबूल, मेंहदी, दुरण्टा, फाईकस एवं अन्य चराई रहित (non grazing) प्रजाति।

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
क	प्रथम वर्ष						
1	सर्वेक्षण, सीमांकन, झाड़ी सफाई एवं मार्किंग (चूना से) 100mt. X 0.3mt.	100 मी0	1	249.83	0.00	249.83	
2	M.S Angle के साथ Barbed wire का घेरान कार्य						
2.1	आयरन एंगल लगाने हेतु (1'X1'X1') का गढ़ड़ा खोदना - कुल 41 गढ़ड़ा	41	1	249.83	0.00	249.83	
2.2	41 आयरन एंगल पोस्ट की ग्राउटिंग हेतु ढलाई (1:3:6 मिक्सचर में) - 1'x1'x1'	41	6	1498.98	3000.00	4498.98	

2.3	आयरन एंगल 50mm X 50mm X 5mm (Gr. A) – लम्बाई 6', वजन 7.2 कि०ग्रा० कुल 295.2 कि०ग्रा० @ रू० 65/- प्रति कि०ग्रा०	41 एंगल	0	0.00	19188.00	19188.00	
2.4	41 आयरन एंगल रगने हेतु दो कोट पेन्ट एवं प्राईमर	41 एंगल	0	0.00	2050.00	2050.00	
2.5	आयरन एंगल में तार एवं स्टेपलस लगाने हेतु 6mm. dia. का drill करना @ रू० 6.50/- प्रति होल।	41 एंगल	0	0.00	1066.00	1066.00	
2.6	कंटीला तार को खींचने, सीधा करने तथा स्टेपल के साथ लगाने का खर्च – 100 मीटर।	100 मी०	15	3747.45	0.00	3747.45	
2.7	कटीले तार (4point, 2 ply, 12 swg, 150 mm apart) का क्रय @ रू० 64.32/- प्रति कि०ग्रा० कुल 86.211 कि०ग्रा०	86.211 कि०ग्रा०	0	0.00	5545.09	5545.09	
3	हरित झाड़ी के लिए ट्रेंच गद्दा खुदाई 100mt.X 0.3mt.X 0.3mt.	100 मी०	6	1498.98	0.00	1498.98	
4	हरित झाड़ी (कामिनी एवं अन्य प्रजाति) के पौधों का क्रय – 2100 पौधे रू० 10/- प्रति पौधा के दर से परिवहन सहित।	2100 पौधा	0	0.00	21000.00	21000.00	
5	गद्दा की खाद मिलाकर भराई करना एवं पौधारोपण	2000 पौधा	20	4996.60	0.00	4996.60	
5.1	उर्वरक – 14 कि०ग्रा० (7 ग्रा० X 2000 पौधा)	2000 पौधा	0	0.00	560.00	560.00	जुलाई से सितम्बर तक 3 बार।
5.2	जैविक खाद – 28 कि०ग्रा० (14 ग्रा० X 2000 पौधा)	2000 पौधा	0	0.00	500.00	500.00	
6	कोड़नी-निकौनी, पटवन एवं पौधों की सुरक्षा।	2000 पौधा	15	3747.45	0.00	3747.45	
7	हेज कटर – (एक) रू० 700/- प्रति के दर से।	स्थल	0	0.00	700.00	700.00	
8	साईन बोर्ड की स्थापना	स्थल	0	0.00	1250.00	1250.00	



9	कार्य स्थल का छायांकन	स्थल	0	0.00	300.00	300.00	
	<b>योग -</b>		<b>64</b>	<b>15989.12</b>	<b>55159.09</b>	<b>71148.21</b>	
<b>ख</b>	<b>द्वितीय वर्ष</b>						
1	कोड़नी-निकौनी, पटवन, पौधों की कटाई-छटाई एवं पौधों की सुरक्षा।	2000 पौधा	20	4996.60	0.00	4996.60	
1.1	उर्वरक - 14 कि०ग्रा० (7 ग्रा० X 2000 पौधा)	2000 पौधा	0	0.00	560.00	560.00	जुलाई से सितम्बर तक 3 बार।
1.2	जैविक खाद - 28 कि०ग्रा० (14 ग्रा० X 2000 पौधा)	2000 पौधा	0	0.00	500.00	500.00	
	<b>योग -</b>		<b>20</b>	<b>4996.60</b>	<b>1060.00</b>	<b>6056.60</b>	
<b>ख</b>	<b>तृतीय वर्ष</b>						
1	कोड़नी-निकौनी, पटवन, पौधों की कटाई-छटाई एवं पौधों की सुरक्षा।	2000 पौधा	20	4996.60	0.00	4996.60	
1.1	उर्वरक - 14 कि०ग्रा० (7 ग्रा० X 2000 पौधा)	2000 पौधा	0	0.00	560.00	560.00	जुलाई से सितम्बर तक 3 बार।
	<b>योग -</b>		<b>20</b>	<b>4996.60</b>	<b>560.00</b>	<b>5556.60</b>	
	<b>सकल योग -</b>		<b>104</b>	<b>25982.32</b>	<b>56779.09</b>	<b>82761.41</b>	

नोट :-

1. सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर दिया जायेगा।
2. जविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा अन्य सामग्रियों के अनुरूप क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जायेगी।
3. स्थल विशिष्ट तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
4. झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।



समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।


ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 782 दिनांक- 13/8/19

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्चिस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 36

राँची-2, दिनांक-13/8/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जल संरक्षण -सह- वृक्षारोपण योजना कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**योजना का नाम : जल संरक्षण -सह- वृक्षारोपण योजना**

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 249.83 रकबा :- एक हे0

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	<b>अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)</b>						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)	हे0	7	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य						
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर ) (प्रति चेन रु0 1963.79/- एवं 2 मानव दिवस बर्न बनाने सहित)	6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 1000 पीट प्रति हे0 (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	22	5496.26	0.00	5496.26	

5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य -	हे0					
5.1	कटुर ट्रेचिंग - 41 कटुर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी0 से 3मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे0	25	6245.75	0.00	6245.75	
6	जल संरक्षण संरचना एवं सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वॉल, टो वॉल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	55	13740.65	0.00	13740.65	
7	गली प्लगिंग	हे0	10	2498.30	0.00	2498.30	
8	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	10	2498.30		2498.30	
9	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे0	0	0.00	1350.00	1350.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
	<b>योग -</b>		<b>144</b>	<b>35975.52</b>	<b>13282.74</b>	<b>49258.26</b>	
11	प्रथम वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रवेश बिन्दु कार्यों पर व्यय की जायेगी		0	0.00	0.00	7388.73	स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुसार।
	<b>योग -</b>		<b>144</b>	<b>35975.52</b>	<b>13282.74</b>	<b>56646.99</b>	
<b>ख</b>	<b>समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	3247.79	0.00	3247.79	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	5496.26		5496.26	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	6245.75	0.00	6245.75	
4	ट्रेच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	2	499.66	0.00	499.66	
5	पौधों की सुरक्षा	स्थल	9	2248.47		2248.47	

6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	1575.00	1575.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00
	<b>योग -</b>		<b>71</b>	<b>17737.93</b>	<b>1725.00</b>	<b>19462.93</b>
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12	2997.96	0.00	2997.96
4	घेरान मरम्मति	चेन	1	249.83	0.00	249.83
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	2	499.66	176.00	675.66
	<b>योग -</b>		<b>29</b>	<b>7245.07</b>	<b>961.00</b>	<b>8206.07</b>
<b>घ</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12	2997.96	0.00	2997.96
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	2	499.66	176.00	675.66
	<b>योग -</b>		<b>28</b>	<b>6995.24</b>	<b>961.00</b>	<b>7956.24</b>
<b>च</b>	<b>सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	300.00	300.00
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12	2997.96	0.00	2997.96
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	249.83	0.00	249.83
	<b>योग -</b>		<b>27</b>	<b>6745.41</b>	<b>300.00</b>	<b>7045.41</b>
<b>छ</b>	<b>सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष )</b>					
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12	2997.96	0.00	2997.96
<b>ज</b>	<b>सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष )</b>					
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12	2997.96	0.00	2997.96
	<b>सकल योग -</b>		<b>323</b>	<b>80695.09</b>	<b>17229.74</b>	<b>105313.56</b>

## नोट

- (1) एक वर्ष योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।
- (8) सुरक्षा कार्यों हेतु 30 हे० से छोटे वनरोपण स्थल पर न्यूनतम 1 (एक) पशुरक्षक रखना आवश्यक है। अतएव स्थल विशिष्ट प्राक्कलन तैयार करने के क्रम में यथानुसार राशि संकलित कर ली जाए।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।


ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 783 दिनांक— 13/8/19

प्रतिलिपि— :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

**कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।**

शुद्धि पत्र - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 37

राँची-2, दिनांक- 13/8/19

इस कार्यालय के आदेश संख्या 31 दिनांक 25.07.2019 एवं ज्ञापांक 706 दिनांक 25.07.2019 द्वारा निर्गत कार्य दर में आंशिक संशोधन किया गया है। अतः उपरोक्त आदेश द्वारा निर्गत कार्य दर को निरस्त करते हुए संशोधित कार्य दर निर्गत किया जा रहा है जो निम्नवत् है :-

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान **Seedling Seed Orchard** की स्थापना (न्यूनतम 10 हे0 क्षेत्रफल हेतु) कार्य दर

प्रजाति का नाम :

स्थल का नाम :

रकबा : 1हे0

मजदूरी प्रति मा0दि0 : रू0 249.83

पौधों की संख्या - 1000 प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	सामान्य झाड़ी अथवा		7	1748.81	0.00	1748.81	
2.2	आवंचित पेड़ों को हटाना - कृपया नोट देखें।						
3	घेरान कार्य (240 मीटर लंबा)						
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10	
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00	
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्त्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49	0.00	1481.49	
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20	
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.)अधिकतम 1000 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	75	18737.25	0.00	18737.25	



5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कटूर ट्रेच - अधिकतम 120 कटूर, साईज 5 मी. x 0.30 मी. x 0.30 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे0	55	13740.65	0.00	13740.65	
6	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढय वृक्ष अनुसार वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे0	15	3747.45	0.00	3747.45	
7	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित) साईन बोर्ड की स्थापना, आदि।	हे0	1	249.83	150.00	399.83	
	<b>योग-</b>		<b>307.44</b>	<b>76807.74</b>	<b>61210.54</b>	<b>138018.28</b>	
<b>(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>							
1	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढय वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे0	18	4496.94	0.00	4496.94	
2	Randomized design अनुसार वृक्षारोपण। कृपया नोट देखें।	हे0	45	11242.35	0.00	11242.35	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	25	6245.75	0.00	6245.75	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	1575.00	1575.00	
5	वनों की सुरक्षा	दिन	27.5	6870.33	0.00	6870.33	10 हे0 से 30 हे0 तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।
6	विविध कार्य छायांकन एवं प्रसार सहित साईन बोर्ड की स्थापना। प्रत्येक पौधा का गुणाढय वृक्ष अनुसार लेवेलिंग, सम्पूर्ण अभिलेख संधारण आदि कार्य।	हे0	0	0.00	1500.00	1500.00	
	<b>योग-</b>		<b>115.5</b>	<b>28855.37</b>	<b>3075.00</b>	<b>31930.37</b>	
<b>(C) संधारण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	9118.80	0.00	9118.80	10 हे0 से 30 हे0 तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।





2	एक कोड़नी निकौनी एवं मृत पौधों को बदलना।	हे०	16	3997.28	100.00	4097.28	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
	<b>योग-</b>		<b>52.5</b>	<b>13116.08</b>	<b>885.00</b>	<b>14001.08</b>	
<b>(D) संधारण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>							
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	36.5	9118.80	0.00	9118.80	10 हे० से 30 हे० तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।
2	एक कोड़नी निकौनी	हे०	14	3497.62	0.00	3497.62	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
	<b>योग-</b>		<b>50.5</b>	<b>12616.42</b>	<b>785.00</b>	<b>13401.42</b>	
<b>(E) संधारण कार्य (पंचम वर्ष)</b>							
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	36.5	9118.80	0.00	9118.80	10 हे० से 30 हे० तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।
2	एक कोड़नी निकौनी	हे०	14	3497.62	0.00	3497.62	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	785.00	1478.00	
	<b>योग-</b>		<b>50.5</b>	<b>12616.42</b>	<b>785.00</b>	<b>13401.42</b>	
<b>(F) संधारण कार्य (षष्ठम वर्ष)</b>							
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	36.5	9118.80	0.00	9118.80	10 हे० से 30 हे० तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।
	<b>योग-</b>		<b>36.5</b>	<b>9118.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9118.80</b>	



(G)	संघारण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	वनों की सुरक्षा (घेरान मरम्मत सहित)	दिन	36.5	9118.80	0.00	9118.80	10 हे० से 30 हे० तक के लिए एक मानव दिवस का सुरक्षा मद में प्रावधान किया जायेगा।
			36.5	9118.80	0.00	9118.80	
	सकल योग -		649.44	162249.60	66740.54	228990.14	

**नोट :-**

- उपर इंगित दर, आइटम अनुसार है एवं प्रत्येक पौध बीज उद्यान हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
- साथ ही एक स्थल पर गुणादय वृक्ष अनुसार पौधे तैयार करने एवं उन्हें डिजाइन अनुसार रोपण करने के क्रम में वनस्पति/वानिकी/कृषि/उद्यान शास्त्र में स्नाकोत्तर कक्षा एवं उससे उपर की अहर्ता रखने वाले छात्रों को मानदेय के रूप में अग्रिम कार्य वर्ष एवं समापन कार्य वर्ष में कुल मिलाकर अधिकतम 5 माह नियोजित किया जा सकता है एवं उसके लिए रू० 10,000/- प्रति माह के आधार पर प्राक्कलन में राशि को सम्मिलित किया जा सकता है।
- पौध बीज उद्यान में झाड़ियों के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य अवांछित/कमजोर वृक्षों को हटाने हेतु सक्षम स्तर से पातन अनुमति प्राप्त करें एवं स्थल वार प्राक्कलन समर्पित करें।
- 10 हे० क्षेत्रफल के पौध बीज उद्यान में औसतन 50 से 60 गुणादय वृक्षों के बीज के पौधे कम्प्यूटर से Randomized design अनुसार रोपित कराया जाना आवश्यक है। इसके अभिलेख भी संघारित करना आवश्यक है।
- पौध बीज उद्यान में रोपित पौधों का 3-5 वर्ष पश्चात् प्रोजेनी मुल्यांकन करते हुए अवर (Inferior) गुणवत्ता के पौधों/वृक्षों का निष्कासन किया जाना चाहिये। इससे संबंधित अभिलेख संघारित किये जाय।
- ज्ञातव्य हो की उपरोक्त मानव दर 10 हे० इकाई आधारित है इसलिए यदि कोई स्थल विशेष 10 हे० से 30 हे० आकार का होने तक एक पशुरक्षक हेतु ही राशि अनुमान्य होगी।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

ह०/-


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 784 दिनांक- 13/8/19

प्रतिलिपि- :-

- अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
- सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक

4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।